संख्या-6/2018/1364/71-4-2018-जीएन-18/2017

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
ग्रेटर नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनॉक 06 सितम्बर, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 8,73,58,429.00 में से उपकरणों की कुल लागत रू0 869.077 लाख के उपकरण क्रय किये जाने हेतु व्यय की अनुमति वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा के पत्रांक-रा0आ0सं0/2018/941, दिनांक 02-08-2018 एवं पत्रांक-रा0आ0सं0/2018/954, दिनांक 06-08-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-69/2017/71-2-17-जीएन-18/2017, दिनांक 05-10-2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्रय किये जाने वाले उपकरणों की सूची अनुमोदित की गयी थी, और उक्त सूची में से ही वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपकरण मद में अवशेष धनराशि रू0 8,73,58,429.00 में से कुल लागत रू0 869.077 लाख का उपकरण क्रय किये जाने हेतु व्यय की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि 8,73,58,429.00 में से एम०सी०आई० मानको को पूर्ण किये जाने एवं संस्थान के सुचारू रूप से संचालन हेतु विगत वर्ष में शासनादेश संख्या-69/2017/71-2-17-जीएन-18/2017, दिनांक 05-10-2017 द्वारा अनुमोदित की गयी उपकरणों की सूची में से आपके पत्र दिनांक 02-08-2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी उपकरणों की सूची (संलग्न) के अनुसार कुल लागत रू0 8,69,07,700.00 (रूपया आठ करोड उनहत्तर लाख सात हजार सात सौ मात्र) का उपकरण क्रय किये जाने हेतु व्यय की अनुमति वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा प्रदान करते है:-

1. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही संबंधित उपकरणों के क्रय की कार्यवाही संस्थान स्तर से नियमानुसार की जाएगी। सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना निदेशक एवं वित्त अधिकारी का दायित्व होगा।
2. धनराशि का आहरण तभी किया जाएगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाये।
3. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा। धनराशि का आहरण एवं व्यय, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।
5. प्रस्तावित उपकरणों की गुणावत्ता मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक/वित्त अधिकारी /संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।
6. दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ संबंधित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टया न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टओं का यथासम्भव समावेश किया जाए।
7. वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत-सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. निदेशक/वित्त नियंत्रक द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. प्राइज जस्टीफिकेशन संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना निदेशक/वित्त अधिकारी/विभागाध्यक्ष/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी। उपकरणों के अनुरक्षण, अधिष्ठापन आदि तथ्यों का नियमानुसार प्रक्रियात्मक अनुपालन किया जाय।
10. संस्थान के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि उपकरणों का क्रय किये जाने में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो और उपकरणो का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।
11. उक्त उपकरणों का क्रय किये जाने के संबंध में समस्त औपचारिताएं नियमानुसार पूर्ण किये जाने के पश्चात, यदि उपकरण क्रय के पश्चात धनराशि की बचत होती है तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में क्रय किये जाने वाले अन्य उपकरण में तद्नुसार समायोजित किया जाएगा।
12. संबंधित उपकरण/संयंत्र की क्रय प्रक्रिया में ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेन्डरिंग प्रणाली से संबंधित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
13. उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृति धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जाएगा।
14. वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र(क्रयादेश/उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
15. क्रय किये जाने वाले उपकरणों की कुल लागत स्वीकृति धनराशि रू0 8,69,07,700.00 रूपया) आठ करोड उनहत्तर लाख सात हजार सात सौ मात्र(की सीमा के अन्तर्गत ही होगी और संस्थान की विभागवार अति आवश्यकता एवं एम0सी0आई0 के मानक के अनुसार ही उपकरणों का क्रय सुनिश्चित किया जाएगा।
16. क्रय किये जाने वाले उपकरण चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा निर्गत उपकरणों के क्रय संबंधी विभन्न शासनादेशों के अनुसार ही उपकरण क्रय किये जाएगें।
17. भविष्य में ऐसे प्रकरणों में समयबद्ध रूप से कार्यवाही की जाएगी, जिससे जिस वित्तीय वर्ष में धनराशि अवमुक्त की जाए, उसी वित्तीय वर्ष में उसका व्यय सुनिश्चित किया जाए।

3- धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। शासनादेश दिनांक 05-10-2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- धनराशि को व्यय किये जाने के पूर्व वित्त अधिकारी, राजकीय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा द्वारा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जाएगें।

6- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा दिनांक 27-08-2018 को प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्याः-6/2018/1364(1)/71-4-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, राजकीय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।